

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

संघ का कार्यालय : दिल्ली, जवाहर नगर, पुराना दिल्ली, दिल्ली-110002, फोन : 26101111, 26101112, 26101113, 26101114, 26101115, 26101116, 26101117, 26101118, 26101119, 26101120, 26101121, 26101122, 26101123, 26101124, 26101125, 26101126, 26101127, 26101128, 26101129, 26101130, 26101131, 26101132, 26101133, 26101134, 26101135, 26101136, 26101137, 26101138, 26101139, 26101140, 26101141, 26101142, 26101143, 26101144, 26101145, 26101146, 26101147, 26101148, 26101149, 26101150, 26101151, 26101152, 26101153, 26101154, 26101155, 26101156, 26101157, 26101158, 26101159, 26101160, 26101161, 26101162, 26101163, 26101164, 26101165, 26101166, 26101167, 26101168, 26101169, 26101170, 26101171, 26101172, 26101173, 26101174, 26101175, 26101176, 26101177, 26101178, 26101179, 26101180, 26101181, 26101182, 26101183, 26101184, 26101185, 26101186, 26101187, 26101188, 26101189, 26101190, 26101191, 26101192, 26101193, 26101194, 26101195, 26101196, 26101197, 26101198, 26101199, 26101200

अध्यक्ष
शिवकुमार गर्ग

उप-अध्यक्ष
मौनाराध

उप-अध्यक्ष
प्रमोद कुमार गोयल

फोन : 26101111-26101150
E-mail : dgsd4255@gmail.com

फोन : 26101151-26101190
E-mail : dgsd4255@gmail.com

फोन : 26101191-26101200
E-mail : dgsd4255@gmail.com

वरिष्ठ अध्यक्ष

जगदीश प्रभाव शर्मा
9810406015

उपाध्यक्ष

लोकेश अग्रवाल
9811153175

उपाध्यक्ष

शशि मोहन
9560128537

विनोद मलिक

9810678574

भिखारी लाल

9278203088

सचिव

रमेश गर्ग

9211608223

क. पी. न्यागी

9810173582

क. विहारी बंसन

9810630303

सेवा में,
श्रीमान मनीश शिशोदिया जी,
पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री
दिल्ली सरकार ।

28-19

दिनांक 19/8/14

विषय : दिल्ली के राशन दुकानदारों की समस्याओं से अवगत कराने हेतु ।

मान्यवर,

पिछले 1 वर्ष से दिल्ली की राशन प्रणाली पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है । इसकी पूरी तरह जिम्मेदार कांग्रेस व वर्तमान में दिल्ली प्रशासन के मुखिया माननीय ले० गर्वनर नजीब जंग साहब है । मान्यवर 28 दिसम्बर 2013 के बार दिल्ली में जब आपकी सरकार आई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब हमें ईमानदार सरकार ईमानदारी से काम करने का मौका देगी । हम राशन दुकानदार तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी से अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिले थे लेकिन वो हमारी समस्याओं को ध्यान देते उससे पहले आपकी सरकार 49 दिन में गिर गई । जिसका हमें आज तक खेद है ।

मान्यवर अब हम आपकी शरण में आये है कि आप हमें ईमानदारी से दुकान चलाने का मौका प्रदान करें । हम आपसे 30 जुलाई 2014 को मिले थे जिसमें आपने हमसे सुझाव मांगे थे । मैं उसका ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार करके लाया हूँ । आशा है आप उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

वर्तमान में राशन प्रणाली में कई तरह की कटेगरी है । जिससे राशन दुकानदारों को बेहद कठिनाई होती है । हमारा तो एक ही नारा है - Food For All

ए पी एल में रेट बढ़ाओ

ग्राहक के लिए गेहूँ का मूल्य 10 रुपये किलो हो - गेहूँ प्रति कार्ड 25 किलो

चावल का रेट 12 रुपये किलो हो - चावल प्रति कार्ड 10 किलो

चीनी का रेट 30 रुपये किलो हो - चीनी प्रति कार्ड 5 किलो

एक दुकान पर ए पी एल के 1000 कार्ड अनिवार्य हो ।

गेहूँ 1000 x 25 250 कुंटल 250000 रुपये

चावल 1000 x 10 100 कुंटल 100000 रुपये

चीनी 1000 x 5 50 कुंटल 150000 रुपये

400 कुंटल 500000 रुपये 75000 मुनाफा

हमारा लाभ कम से 15 प्रतिशत हो । जिसमें की दुकान के सारे खर्चे भी शामिल है ।

दुकान का खर्चा :

किराया 10000

नौकर की सेलरी 9000

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

राशन कार्डों के लिए राशन दुकानदारों को सूचित करने के लिए जारी किया गया सूचनात्मक पत्र

अध्यक्ष	सचिव	संयोजक
शिवकुमार शर्मा	मीनाराम	प्रम कुमार शोखन
फोन : 9810406015	फोन : 9811153175	फोन : 9810678574
E-mail : ksh74355@gmail.com	E-mail : sh33337@gmail.com	

वरिष्ठ अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद शर्मा

9810406015

उपाध्यक्ष

लोकेश अग्रवाल

9811153175

अनुर शोखन

9560128537

विनोद मलिक

9810678574

भिरवारी लाल

9278203088

सचिव

रमेश शर्मा

9211608223

कै. पी. च्यारी

9810173582

कृष्ण चिहारी बर्मल

9810630303

दूसरा विकल्प : अगर सरकार उपरोक्त सुझावों से असहमत है तो दुकानदार को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये। जैसा की तमिलनाडू और चेरापूंजी में सरकारी कर्मचारी घोषित है।

वर्तमान खाद्य सुरक्षा बिल (संक्षेप में विवरण)

महिने का प्रति व्यक्ति	4 किलो गेहूँ	2 रुपये किलो
महिने का प्रति व्यक्ति	1 किलो चावल	3 रुपये किलो
प्रति कार्ड	6 किलो चीनी	13.50 पैसे किलो

उदाहरण : अगर किसी का 4 लोगों का कार्ड है तो उसको

16 किलो गेहूँ

4 किलो चावल

कुल

20 किलो अनाज

इस पूरे खाद्य सुरक्षा बिल में राशन दुकानदार का कोई कमीशन नहीं है। यह हमारे द्वारा मुफ्त की सेवा है।

खाद्य सुरक्षा कार्ड बनवाने की शर्तें :

- 1) हर आदमी जो कार्ड में नाम दर्ज करवायेगा उसका आधार कार्ड अनिवार्य है। इस नियम के चलते दिल्ली की 70 प्रतिशत गरीब जनता खाद्य सुरक्षा बिल से वंचित हो गई है।
- 2) उस आदमी के घर में 3 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन न हो।
- 3) परिवार में अगर महिला सदस्य नहीं है तो उसका खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं बनेगा। भले ही वह परिवार कितना ही गरीब हो।
- 4) खाद्य सुरक्षा कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिये दूध पीते बच्चों का भी आधार कार्ड अनिवार्य है।

ए. पी. एल. कार्ड का वर्तमान ढांचा :

- 1) गेहूँ प्रति कार्ड 18 किलो रुपये 7.05 किलो
- 2) चावल प्रति कार्ड 4 किलो रुपये 9.25 किलो

वर्तमान में माननीय खाद्य विभाग के कमीशनर महोदय श्री एस. एस. यादव जी ने ए. पी. एल. कटेगरी के 70 प्रतिशत कार्ड फर्जी बताकर रद्द कर दिये हैं। जिससे दिल्ली के 80 प्रतिशत राशन दुकानदार भुखमरी के शिकार हो चुके हैं।

ए. पी. एल पर राशन दुकानदार का कमीशन 35 रुपये प्रमि कुंटल है। जो मई 1997 में सरकार द्वारा तय किया गया था। इसलिये इतने कम कमीशन पर राशन दुकानदार कालाबाजारी करने को बाध्य है। अब हम राशन दुकानदार इस पुरानी सड़ी गली प्रणाली का ध्वस्थ कर नई प्रणाली चाहते हैं जिससे की हम इमानदारी से जीवन यापन कर सकें।

धन्यवाद।

महासचिव

सीताराम